रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2058] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2015/आश्विन 1, 1937

No. 2058] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2015/ASVINA 1, 1937

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

का.आ. 2607(अ).—संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन अपनी 7119वीं बैठक में संकल्प सं. 2140 (2014) को स्वीकार किया (उपाबंध के रूप में इस आदेश के साथ संलग्न) जिसमें सभी राष्ट्रों से ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा है कि उनके राष्ट्रिकों या उनके राज्य-क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति या आस्तित्व द्वारा कोई निधि, वित्तीय आस्तियां अथवा आर्थिक संसाधन उक्त संकल्प द्वारा स्थापित समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों या आस्तित्वों को अथवा उनको फायदा उपलब्ध कराये जाने से रोका जाए;

और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपनी 7426वीं बैठक में संकल्प सं. 2216 (2015) स्वीकार किया जिसमें सभी राष्ट्रों से अपेक्षित है कि वे (अल अब्दुल्ला सलेह, अब्दुल्ला याह्या अल हकीम, अब्द अल-खालिक अल-हूथी और संकल्प 2140 (2014) के पैरा 19, संकल्प 2216 (2015) के पैरा 20 (घ) के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों अथवा आस्तित्वों और संकल्प 2216 (2015) से उपाबद्ध में सूचीबद्ध व्यक्तियों अथवा आस्तित्वों और यमन में वहां के भू-क्षेत्र से अथवा वहां के राष्ट्रिकों के माध्यम से उनके ध्वज वाले युद्धपोतों अथवा लड़ाकू विमानों का उपयोग करके उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अस्त्रों तथा इनसे संबंधित सभी प्रकार की सामग्री, जिसके अंतर्गत हथियार तथा गोला बारूद, सैन्य यान तथा उपस्कर, परा-मिलिट्री उपस्कर भी हैं और उपर्युक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे तथा तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता, सैन्य कार्यकलापों से संबंधित प्रावधान, किसी अस्त्र तथा संबंधित सामग्रियों के रख-रखाव अथवा उपयोग जिनमें भाड़े के हथियार-बंद लड़ाके चाहे वे उन्हीं के राज्य-क्षेत्र से हों अथवा नहीं, शामिल हैं, के उपयोग किए जाने पर रोक लगाने हेतु उपाय करें;

और, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2204 (2015), और 2216 (2015), राज्यों से अपेक्षित करते हैं कि वे संकल्प 2140 (2014) में अंतर्विष्ट उपबंधों को पूर्णतः कार्यान्वित करें।

और केन्द्रीय सरकार यमन की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा राज्य क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र के उक्त संकल्पों को कार्यान्वित करने को संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन एक आदेश जारी करना आवश्यक तथा समयोचित समझती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इस आदेश का नाम यमन का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प आदेश, 2015 हैं।

(2) ये आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगें।

2. **परिभाषाएं:-** (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "संकल्प" से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन यमन से सम्बन्धित 26 फरवरी, 2014 को अंगीकृत संकल्प 2140 (2014) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प 2014 (2011), 2051 (2012), 2201 (2015), 2204 (2015) तथा 2216 (2015) भी हैं;

(ख) "अनुसूची" से इस आदेश के साथ उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है, जो सुरक्षा परिषद द्वारा उनके उक्त संकल्पों में अवधारण के आधार पर तैयार किया गया है;

(ग) "समिति" से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प 2140 (2014) के पैरा 19 के अनुसरण में स्थापित समिति अभिप्रेत है।

(2) उन प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो ऐसी विधि में हैं।

3. **व्यक्तियों तथा आस्तित्वों पर आदेश का लागू होना;-**

समय-समय पर यथा-संशोधित इस आदेश के उपबंध, उक्त संकल्पों तथा अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों तथा आस्तित्वों पर लागू होंगे।

4. **केन्द्रीय सरकार की संकल्प को प्रभावी करने की शक्तियां;-** केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित उपाय करने की शक्तियां होंगी,

(क) उनके राज्य-क्षेत्रों में स्थित सभी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों को तत्काल रोक लगाने और निष्क्रिय करना, जिनका स्वामित्व अथवा नियंत्रण, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, अभिहित व्यक्तियों अथवा आस्तित्वों, अथवा निमित्त अथवा उनके निदेश पर कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा आस्तित्वों अथवा उनके स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन आस्तित्वों द्वारा किया जाता हो;

(ख) भारतीय राष्ट्रिको अथवा उनके राज्य-क्षेत्र में स्थित किन्ही व्यक्तियों या आस्तित्वों द्वारा अभिहित व्यक्तियों या आस्तित्वों को अथवा उनके फायदे के लिए उपलब्ध कराई जा रही किन्ही निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना जिसमें निम्नलिखित पर छूट का उपबंध हो:-

(i) निधियों तथा बुनियादी व्यय;

(i) असाधारण व्यय; और

(ii) न्यायिक, प्रशासनिक अथवा माध्यस्थम धारणाधिकार या अधिनिर्णय पर व्यय,

तत्काल मामले में, यथालागू संकल्प 2140 (2014) के पैरा 12 के उप-पैरा (क), (ख), (ग) में उल्लिखित निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अध्याधीन होगा।

(ग) निम्नलिखित प्रयोजनार्थ यात्रा या प्रवेश या पारगमन में छूट का उपबंधों के साथ अभिहित व्यक्तियों को उनके राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा पारगमन पर रोक लगाना,-

(i) मानवीय आवश्यकताओं जिसके अंतर्गत मामला दर मामला आधार पर समिति द्वारा अवधारित धार्मिक दायित्व भी है, के आधार पर न्यायानुमत हों;

(ii) किसी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए;

(iii) मामला दर मामला आधार पर समिति द्वारा अवधारित यमन में शांति और राष्ट्रीय मेल-मिलाप के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने को;

(iv) मामला दर मामला आधार पर शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने को अवधारित किया जाए,

तत्काल मामलों में यथालागू संकल्प 2140 (2014) के पैरा 16 के उप-पैरा (क), उप-पैरा (ख), उप-पैरा (ग) तथा उप-पैरा (घ) में उल्लिखित निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अध्याधीन होगा

(घ) अल अब्दुल्ला सलेह, अब्दुल्ला याह्या अल हकीम, अब्द अल-खालिक अल-हूथी और संकल्प 2140 (2014) के पैरा 19, संकल्प 2216(2015) के पैरा 20 के उप-पैरा (घ) के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों अथवा आस्तित्वों, संकल्प 2216 (2015) से उपाबद्ध में सूचीबद्ध व्यक्तियों अथवा आस्तित्वों और यमन में उनके लिए जो कार्यरत हैं या उनके निदेश से कार्य कर रहे हैं, से या उनके माध्यम से, भारत के राज्य-क्षेत्र या भारत के राष्ट्रिकों द्वारा या भारतीय ध्वज का उपयोग करके जलयान या हवाई जहाजों में सभी प्रकार के आयुध और उससे सम्बन्धित सभी प्रकार की सामग्री, जिसके अंतर्गत हथियार तथा गोला बारूद, सैन्य यान तथा उपस्कर, पैरा-मिलिट्री उपस्कर भी हैं और उपर्युक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे तथा सैन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता, उपलब्ध कराना, किसी अस्त्र तथा सम्बन्धित सामग्रियों के रख-रखाव अथवा उपयोग जिनमें भाड़े के हथियार-बंद लड़ाके चाहे वे भारत के राज्य-क्षेत्र से हों अथवा नहीं, सम्मिलित हैं, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाय, विक्रय या अंतरण या लाभ के उपयोग किए जाने पर रोक लगाने के लिए उपाय करना।

अनुसूची

[पैराग्राफ 2 (ख) देखें]

अनुबंध

26 फरवरी, 2014 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2140 (2014) का पाठ

संकल्प 2140 (2014)

सुरक्षा परिषद द्वारा 26 फरवरी, 2014 को उसकी 7119वीं बैठक में अंगीकृत

सुरक्षा परिषद

संकल्प 2014(2011), 2051(2012) तथा 15 फरवरी, 2013 के अध्यक्षीय वक्तव्य का *स्मरण करते हुए,*

यमन की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा राज्य-क्षेत्रीय अखंडता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की पुनः *अभिपुष्टि करते हुए,*

यमन में राजनैतिक संक्रमणकाल को सहयोग करने में खाड़ी सहयोग परिषद (खा॰स॰प॰) के योगदान की *सराहना करते हुए,*

व्यापक राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन के निष्कर्षों का स्वागत करते हुए, जिसपर सभी राजनैतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं और जिनके निर्णयों से यमन के नेतृत्व में निरंतर चलने वाले लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए एक दिशा मिलती है जिसमें लोकतंत्र, सुशासन, विधि के शासन, राष्ट्रीय मेलजोल के प्रतिबद्धता और यमन के सभी व्यक्तियों के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का आधार है,

उन लोगों, विशेषतः राष्ट्रपति अब्द रब्बो मनसूर हादी के नेतृत्व में विशेषतया जिन्होनें अपनी रचनात्मक भागीदारी के जरिए एक व्यापक राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन का किसी परिणाम निकालने में अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाई,

यमन में वर्तमान हिंसा सहित वहां की राजनैतिक, सुरक्षा, आर्थिक तथा मानवीय चुनौतियों जिसके अंतर्गत होने वाली हिंसा भी है, के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए,

संकल्प 1267 (1999) तथा 1989 (2011) के अनुसरण में समिति द्वारा स्थापित अल-कायदा प्रतिबंधित सूची में अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा तथा संबंधित व्यक्तियों को सूचीबद्ध किए जाने का पुनःस्मरण करते हुए, यमन में योधन आतंकवादी गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में संकल्प 2083 के पैरा-I में उल्लिखित उपायों पर कठोर रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता हैं,

सभी आतंकवादी गतिविधियों, नागरिकों, तेल, गैस तथा विद्युत अवसंरचनाओं और विधिसम्मत प्राधिकरणों जिनके अंतर्गत यमन में राजनैतिक प्रक्रिया को निष्फल करने के उद्देश्यार्थ किए गए हमले भी हैं, की भर्त्सना करते हुए,

इसके अतिरिक्त, सेना और सुरक्षा सुविधाओं पर हमलों विशेषतया 05 दिसम्बर, 2013 को रक्षा मंत्रालय और 13 फरवरी को आंतरिक कारागार मंत्रालय पर किए गए हमले की निंदा करते हुए, सशस्त्र बलों तथा सुरक्षा सेक्टर में यमन सरकार द्वारा प्रभावी रूप में सुधार प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए,

अपने संकल्प 2133 की अभिपुष्टि करते हुए और सभी सदस्य राज्यों से यह आग्रह करते हुए कि आतंकवादियों को मुक्ति धन के संदाय अथवा राजनैतिक छूट से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने से रोका जाए और बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए,

यमन के समक्ष कठिन आर्थिक, सुरक्षा तथा सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिनसे अधिकांश यमनवासियों को मानवीय सहायता की कठिन आवश्यकताएँ में छोड़ दिया है; सुरक्षा के लिए रक्षोपाय करने, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राजनैतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी सुधारों को आगे ले जाने के लिए यमन सरकार को अपनी सहायता की अभिपुष्टि करते हुए और परस्पर उत्तरदायित्व कार्यढांचा कार्यकारी ब्यूरो, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) द्वारा आर्थिक सुधार के लिए यमन सरकार को दी जाने वाली सहायता का स्वागत करते हुए,

इस बात पर बल देते हुए कि यमन की परिस्थितियों का सर्वोत्तम समाधान किसी शांतिपूर्ण, समावेशी, सुचारू और यमनवासियों के नेतृत्व वाली राजनैतिक संक्रमणकालीन प्रक्रिया के माध्यम से है जो यमन के लोगों की शांतिपूर्ण परिवर्तन तथा सार्थक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सुधार की विधिसंगत मांगों तथा आकांक्षाओं को पूरा करे, जैसा कि खाड़ी सहयोग परिषद की पहल तथा क्रियान्वयन तंत्र और व्यापक राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन के परिणामों में दिये गए है, राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए जिसमें राष्ट्रीय विधानमंडल चुनावों तथा निर्वाचित परिषदों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल हैं, यमन के प्रयासों का स्वागत करते हुए;

इसके अतिरिक्त बच्चों तथा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित संकल्पों 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) तथा 2068 (2012) तथा महिला, शांति और सुरक्षा से संबंधित संकल्पों 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) तथा 2122 (2013) को प्रत्याहवान करते हुए,

इस को मान्यता देते हुए कि इस परिवर्तन प्रक्रिया में अली अब्दुल्ला सलेह के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल को बदलना और यमन में सभी पणधारियों को अंतवर्लित करके और उनके सहयोग का स्वागत करना होगा, जिसके अंतर्गत ऐसे समूह भी हैं जो खाड़ी सहयोग परिषद पहल तथा इसके क्रियान्वयन तंत्र के पक्षकार नहीं हैं,

संपूर्ण उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन, खाड़ी सहयोग परिषद पहल तथा क्रियान्वयन तंत्र के परिणामों के अनुरूप कथित मानवाधिकार उल्लंघनों तथा दुरूपयोग की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संगत व्यापक, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर बल देते हुए,

यमन में राजनैतिक संक्रमण में शासन सुधारों के महत्व को स्वीकार करते हुए, इस संबंध में राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन के सुशासन कार्यसमूह की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, यमन में नेतृत्व के लिए अभ्यर्थियों के लिए पूर्वापेक्षाएं और उनकी वित्तीय आस्तियों के प्रकटन भी हैं,

अपने संकल्प 2117 (2013) का स्मरण करते हुए और यमन में अवैध अंतरण, अस्थिरकारी संचयन तथा लघु शस्त्रों और हल्के आयुधों के दुरूपयोग से उत्पन्न शांति तथा सुरक्षा को खतरे के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए,

यमन में मानवीय तथा सुरक्षा स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद पहल और कार्यान्वयन तंत्र के कार्यान्वयन में सतत् प्रगति की आवश्यकता पर जोर देते हुए,

यमन में संयुक्त राष्ट्र के देश के दलों और अभिकरणों के कार्यों पर प्रशंसापूर्वक गौर करते हुए राष्ट्रपति के टिप्पण (एस/2006/997) द्वारा प्रदान किए गए मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा परिषद समनुषंगी अंग शाखा के लिए विशेषज्ञों के रोस्टर में सुधार तथा विस्तार के लिए सचिवालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए,

यह अवधारित करते हुए कि यमन की स्थिति इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन कार्रवाई करते हुए,

1. खाड़ी सहयोग परिषद पहल तथा कार्यान्वयन तंत्र के अनुरूप और संकल्प 2014 (2011) और 2051(2012) के अनुसरण में और यमन की जनता की आशाओं के संबंध में, व्यापक राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन का पालन करते हुए राजनीतिक परिवर्तन को पूर्णतया तथा समय से कार्यान्वित करने की आवश्यकता की पुनः पुष्टि करता है;

राजनीतिक परिवर्तन का कार्यान्वयन

2. यमन में राजनीतिक परिवर्तन में हुई हाल की प्रगति का स्वागत करता है तथा कार्यान्वयन तंत्र के अनुक्रम में, परिवर्तन के आगामी चरणों को पूरा करने के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त करता है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:

(क) यमन में एक नए संविधान का प्रारूपण करना;

(ख) चुनावी सुधार, जिसके अंतर्गत नए संविधान के संगत एक नए निर्वाचन विधि कानून का प्रारूपण करने तथा अंगीकार करना;

(ग) प्रारूप संविधान पर जनमत संग्रह कराना, जिसके अंतर्गत उपयुक्त प्रवचना भी हैं;

(घ) यमन को ऐकिक से परिसंघीय राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए तैयार करने को राज्य संरचना सुधार; और

(ङ) समय पर आम चुनाव, जिसके पश्चात् नए संविधान के अधीन निर्वाचित राष्ट्रपति के कार्य प्रारंभ के बाद राष्ट्रपति हादी की वर्तमान कार्यावधि समाप्त हो जाएगी;

3. देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत यमन के सभी क्षेत्रों में युवा आंदोलन, महिला समूहों भी हैं; को परिवर्तन प्रक्रिया में पश्चातवर्ती कदमों तथा राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के लिए सहमति की भावना

जारी रखते हुए तथा हिराक दक्षिणी आंदोलन, हूथी आंदोलन तथा अन्यों को रचनात्मक रूप से भाग लेने तथा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने को हिंसा का उपयोग ठुकराने का आह्वान करने के लिए प्रोत्साहित करना;

4. किसी आस्ति वसूली विधि को पुर:स्थापित करने की यमन सरकार की योजना और इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसके अंतर्गत ड्यूविल पहल भी है, का समर्थन करने का स्वागत करना;

5. यमन की जनता के शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए विधिसम्मत आकांक्षाओं को कुंठित करने और हिंसा फैलाने के लिए मीडिया के उपयोग पर चिंता व्यक्त करना;

6. रिपब्लिकन डिक्री संख्या 2012 का 140, जो वर्ष 2011 में मानवाधिकार उल्लंघनों के अभिवचनों की अन्वेषण के लिए समिति का गठन करता है और जिसमें उल्लेख है कि ये अन्वेषण पारदर्शी और स्वतंत्र होंगी तथा मानवाधिकार परिषद संकल्प 19/29 के अनुसरण में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेगी और यमन सरकार उक्त समिति के सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति के लिए जल्दी ही समय-सीमा उपबंध करेगी, कराने हेतु आमंत्रित करती है, के कार्यान्वयन की दिशा में यमन सरकार द्वारा कदम उठाने की आशा रखते हुए;

7. अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कि अभी भी सशस्त्र समूहों तथा यमनी सरकारी बलों द्वारा प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करके बच्चों को भर्ती करके और उनका उपयोग करना जारी है और बच्चों की भर्ती तथा उनको उपयोग को समाप्त करने तथा उनको रोकने के सतत् राष्ट्रीय प्रयासों के लिए आवाहनन, जिसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद संकल्प 1612 (2005), 1882 (2009) और 1998 (2011) के अनुरूप, यमन के सरकारी बलों में बच्चों की भर्ती तथा उपयोग को रोकने तथा समाप्त करने की कार्ययोजना पर यमन सरकार द्वारा हस्ताक्षर करना और इसे कार्यान्वित करना भी है, का आह्वान करना और सशस्त्र समूहों से आग्रह करना कि वे इन प्रक्रियाओं की मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग करने के लिए उनके नियंत्रणाधीन राज्य क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों के सुरक्षित तथा बेरोक-टोक प्रवेश की अनुमति दें;

8. परिवर्तनीय न्याय तथा राष्ट्रीय मेल-मिलाप पर कानून शीघ्र अपनाने के लिए भी आशावान होना कि राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन की संस्तुतियों का ध्यान रखते हुए ऐसा करना यथा-उपयुक्त सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करने और यमन के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है;

9. सभी पक्षों का आह्वान किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसके अंतर्गत लागू अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी विधि तथा मानवाधिकार विधि भी है, के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करें;

अन्य उपाय

10. इस बात पर बल दिया जाता है कि खाड़ी सहयोग परिषद पहल तथा कार्यान्वयन तंत्र करार पर पक्षकारों द्वारा की गई बदलाव संबंधी सहमति को पूर्ण रूप अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है और सभी यमन वासियों से राजनैतिक परिवर्तन के कार्यान्वयन का पूरी तरह सम्मान करने और कार्यान्वयन तंत्र करार के मूल्यों के अनुसार कार्य करने का आह्वान किया जाता हैं;

11. यह विनिश्चय किया गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए, विलंब किए बिना नीचे दिए गए पैराग्राफ 19 के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों अथवा उनके निमित्त कार्यरत आस्तित्वों द्वारा जो उनके स्वामित्वधीन या नियंत्रणधारी हैं द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, या उनके निदेश पर या उनके स्वामित्वधीन या नियंत्रित आस्तित्वों द्वारा, स्वामित्व में ली सभी निधियों अन्य वित्तीय आस्तियों और अपने राज्य-क्षेत्र में स्थित आर्थिक संसाधनों पर रोक लगा देंगे और यह भी विनिश्चय किया गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके राष्ट्रिकों अथवा किन्हीं व्यक्तियों और उनके राज्य-क्षेत्र में स्थित आस्तित्वों द्वारा किन्ही निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों को समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों या आस्तित्वों के लाभ के लिए उपलब्ध कराए जाने पर रोक लगाई जाए।

12. यह निर्णय लिया जाता है कि उपर्युक्त पैरा-11 द्वारा अधिरोपित किए गए उपाय निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होंगे, जिनका निर्धारण सुसंगत सदस्य राज्यों द्वारा किया गया है;

(क) प्राधिकृत करने के आशय से सुसंगत राज्य द्वारा अधिसूचना के पश्चात, आधारभूत व्यय, जिसके अंतर्गत, खाद्य पदार्थों के संदाय, किराए अथवा बंधक, औषधि तथा चिकित्सीय उपचार, करों, बीमा प्रीमियम और जन-उपयोगिता प्रभारों अथवा युक्तियुक्त वृत्तिक फ़ीसों के संदाय के लिए और राष्ट्रीय विधियों के अनुसार विधिक सेवाओं के उपबंधों से उद्भूत सहबद्ध व्ययों की प्रतिपूर्ति, अवरुद्ध की गई निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों का निमित्त या फीस या सेवा प्रभार्थ रोकना अथवा अनुरक्षण, जहां ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों तक समुचित पहुँच हैं और समिति के नकारात्मक निर्णय की अनुपस्थिति में ऐसी अधिसूचना के पांच दिन के भीतर खर्च कर सकते हैं;

(ख) असाधारण खर्चों के लिए आवश्यक हो, परंतु ऐसा अवधारण सुसंगत राज्य अथवा समिति के सदस्य राज्यों द्वारा अधिसूचित किया गया हो और समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो;

(ग) किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा माध्यस्थम धारणाधिकार या निर्णय के अधीन रहते हुए, इस मामले में निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों का उपयोग उक्त धारणाधिकार अथवा निर्णय की समाधानप्रद रूप किया जा सकता है, परंतु कि ऐसा धारणाधिकार अथवा न्यायनिर्णय वर्तमान संकल्प की तारीख से पूर्व किया गया हो, समिति द्वारा अभिहित किसी व्यक्ति अथवा आस्तित्व के फायदे के लिए न हो, तथा सुसंगत राज्य अथवा सदस्य राज्यों द्वारा समिति को अधिसूचित कर दिया गया हो,

13. विनिश्चय किया गया है कि सदस्य राज्य उन खातों में जिन्हें इस संकल्प के प्रावधानों की विषयवस्तु बनने से पूर्व किसी तारीख को उपर्युक्त पैरा 11 के प्रावधानों के अंतर्गत अवरूद्ध किया गया था, उन पर देय ब्याज अथवा अन्य आय अथवा संविदाओं, करारों, देयताओं के अधीन ऐसे खातों में कुछ जोड़े जाने की अनुमति दे सकते हैं, परंतु कि ऐसा कोई ब्याज, अन्य आय और भुगतान इन उपबंधों के अधीनधारी होगा और अवरुद्ध होगा।

14. विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 11 के उपाय किसी व्यक्ति या इकाई को ऐसा भुगतान करने से नहीं रोकेंगे जो किसी अभिहित व्यक्ति या आस्तित्व को सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व संविदा के अंतर्गत देय हो, परंतु कि सुसंगत राज्यों ने यह अवधारित किया हो कि उपर्युक्त पैरा 11 के अंतर्गत अभिहित व्यक्ति अथवा इकाई ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान प्राप्त न किया हो, और संबद्ध राज्यों द्वारा ऐसा भुगतान करने या प्राप्त करने के अपने आशय के बारे में समिति को अधिसूचित किया गया हो और जहां आवश्यक हो, इस प्रयोजन के लिए निकायों को अनवरुद्ध करने, अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों के बारे में प्राधिकृत किया गया हो और ऐसे प्राधिकृत करने के कार्य से कम से कम 10 कार्यदिवस पूर्व किया गया हो।

यात्रा रोक

15. विनिश्चय किया गया कि इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए, सभी सदस्य राज्य, निम्नलिखित पैरा 19 के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा अभिहित व्यक्तियों को अपने राज्य-क्षेत्रों में प्रवेश अथवा पारगमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे, परंतु इस पैरा का कोई उपबंध राज्य को अपने नागरिकों को अपने राज्य-क्षेत्र में प्रवेश के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा।

16. विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 15 के उपबंध द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगेः

(क) जहां समिति अलग-अलग मामलों में यह अवधारित करती है कि धार्मिक बाध्यताओं सहित मानवीय आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत धार्मिक बाध्यताएँ भी हैं, के आधार पर, ऐसी यात्रा करने का औचित्य है;

(ख) जहां प्रवेश या पारगमन, न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है;

(ग) जहां मामला दर मामला आधार पर समिति यह अवधारित करती है कि यमन में शांति और राष्ट्रीय सामंजस्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छूट देना लाभदायी होगा; और

(घ) जहां कोई राज्य मामला दर मामला आधार पर, यह अवधारित करता है कि ऐसी प्रवेश या पारगमन यमन में शांति तथा स्थायित्व के संवर्धन हेतु अपेक्षित है और तत्पश्चात्, ऐसा निर्धारण करने के बाद अड़तालीस घंटे की अवधि के भीतर, समिति को अधिसूचित कर देता है,

अभिहित किए जाने का मापदंड

17. विनिश्चय किया गया कि पैरा 11 तथा 15 के उपबंध उन व्यक्तियों या आस्तित्वों पर लागू होंगे जिन्हें यमन की शांति, सुरक्षा अथवा स्थायित्व को चुनौती देने वालों से संबद्ध या उन्हें सहायता देने वाले कार्यों के लिए समिति द्वारा अभिहित किया गया है।

18. रेखांकित किया गया कि उपर्युक्त पैरा 17 में वर्णित कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे परंतु वहीं तक सीमित नहीं हैं;

(क) खाड़ी सहयोग परिषद पहल और कार्यान्वयन क्रियाविधि करार में किए गए वर्णन के अनुसार राजनैतिक बदलाव की सफलतापूर्वक पूर्णता में अनुरोध उत्पन्न करना अथवा उसे मानने से इंकार करना;

(ख) व्यापक राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन की अंतिम रिपोर्ट के निष्कर्षो के कार्यान्वयन में हिंसा अथवा अनिवार्य अवसंरचना पर हमले करके रुकावट पैदा करना; अथवा

(ग) ऐसे कार्यों की योजना बनाना, उनका निर्देशन करना या उन्हें कार्यान्वित करना जो ऐसे प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानवता विधि का उल्लंघन करते हैं अथवा ऐसे कार्य जो यमन में मानवाधिकारों का दुरुपयोग माने जाते हैं;

प्रतिबंध समिति

19. विनिश्चय किया गया कि इसके पद्धति के अनंतिम नियमों के नियम 28 के अनुसार, निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए परिषद के सभी सदस्यों सहित सुरक्षा परिषद की समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात "समिति" कहा गया हैं) स्थापित की जाएगीः

(क) इन उपायों के कार्यान्वयन को सदस्य राज्यों द्वारा सुदृढ़ करने, सुकर बनाने और उनमें सुधार करने के दृष्टिकोण से उपर्युक्त पैरा-11 और 15 द्वारा लागू किए गए उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना;

(ख) उन व्यक्तियों तथा आस्तित्वों के संबंध में, जिन्हें उपर्युक्त पैरा- 17 और 18 में उल्लिखित कार्यों में लगाया जा सकता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उनका पुनरीक्षण करना;

(ग) उपर्युक्त पैरा-11 और 15 द्वारा अधिरोपित उपायों के अधीन रहते हुए व्यक्तियों और आस्तित्वों को अभिहित करना;

(घ) उपर्युक्त अधिरोपित उपायों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत स्थापित करना;

(ङ) अपने कार्य के बारे में सुरक्षा परिषद को 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट देना और तत्पश्चात् समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर रिपोर्ट देना;

(च) समिति और इच्छुक सदस्य राज्यों के बीच वार्तालाप को प्रोत्साहित करना, विशिष्टतया इस क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ऐसे राज्यों के प्रतिनिधियों से आमंत्रण द्वारा भी, जो समिति से मिलकर उपायों के कार्यान्वयन पर चर्चा करें;

(छ) लागू किए गए उपायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाइयों की बाबत सभी राज्यों से उपयोगी जानकारी प्राप्त करना जिसे यह आवश्यक समझें;

(ज) पैरा-11 और 15 के उपायों के साथ कथित रूप से उल्लंघनों अथवा गैर अनुपालन के संबंध में प्राप्त सूचना की समीक्षा तथा उस पर अपेक्षित कार्रवाई करना;

20. समिति को निदेश दिया जाता है कि वह अन्य सुसंगत सुरक्षा परिषद स्वीकृतियों से संबंधित समितियों, विशेष रूप से अल-कायदा से संबंधित संकल्प 1267 (1999) तथा 1989 (2011), तथा सम्बद्ध व्यक्तियों और इकाइयों के साथ सहयोग करें।

रिपोर्ट करना

21. अनुरोध है कि महासचिव समिति के परामर्श से, चार विशेषज्ञों (विशेषज्ञों के पैनल) के समूह पैनल के कार्य में सहयोग को आवश्यक वित्तीय और सुरक्षा इंतजाम करने हेतु, समिति के निर्देशों के अधीन निम्नलिखित कार्यों को करने हेतु 13 माह की आरंभिक अवधि निर्धारित करें;

(क) इस संकल्प में यथा विर्निदिष्ट अधिदेश को कार्यान्वित करने में समिति की सहायता करना, जिसमें उपर्युक्त पैरा 17 और 18 में उल्लिखित क्रियाकलापों में नियोजित व्यक्तियों और आस्तित्वों को बाद के स्तर पर शक्तिशाली प्रभावकारी अभिहित के लिए सुसंगत सूचना के साथ किसी भी समय समिति को प्रदान करना सम्मिलित है;

(ख) इस संकल्प में विनिश्चित किए गए उपायों के कार्यान्वयन के बारे में, राज्यों से सूचना एकत्र करना, परीक्षण और विश्लेषण करना, सुसंगत संयुक्त राष्ट्र निकायों, क्षेत्रीय संगठनों और अन्य इच्छुक पक्षकारों, विशिष्ट घटनाओं को कमतर करने वाले राजनैतिक परितवर्तन;

(ग) परिषद को, समिति से विचार-विमर्श करने के उपरांत, 25 जून, 2014 तक अध्यतन करना, 25 सितंबर, 2014 तक अंतरिम रिपोर्ट और एक अंतिम रिपोर्ट 25 फरवरी, 2015 तक उपलब्ध कराना; और

(घ) इस संकल्प के 11 और 15 पैरा के अनुसरण में अधिरोपित उपायों के अधीन रहते हुए व्यक्तियों की सूची पर जानकारी प्रदान करना और पुनः अध्यतन करने में समिति को सहायता प्रदान करना, इसके अंतर्गत सूचीबद्ध करने के लिए कारणों के उपलब्ध उल्लिखित सार के लिए सूचना और अतिरिक्त जानकारी को पहचानने का उपबंध भी है;

22. पैनल को निर्देश दिया जाता है कि, अपनी अनुमोदन समितियों के कार्य के समर्थन में सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित अन्य संगत विशेषज्ञ समूहों के साथ, विशेष रूप से 1526 (2004) संकल्प द्वारा स्थापित विश्लेषणात्मक समर्थन और अनुमोदन देखरेख टीम में सहयोग करें;

23. विशेषज्ञों के पैनल सहित सहयोग सुनिश्चित करने को सभी पक्षों और सदस्य राष्ट्रों के साथ-साथ अंतराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठनों से अपेक्षा की जाती है, और विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतवर्लित सभी सदस्य राज्यों और आबंधित पहुंच, विशेषतः, विशेषज्ञों के पैनल द्वारा व्यक्तियों, दस्तावेजों और स्थलों हेतु, उनके अधिदेश को लागू करने की पुन: अपेक्षा की जाती हैं;

पुनर्विलोकन की प्रतिबद्धता

24. पुष्टि करें कि यमन की स्थिति का सतत पुनर्विलोकन किया जाएगा और इस संकल्प में दिए गए उपायों की यथोचिता की पुनर्विलोकन की तैयारी रखी जाएगी, इसके अंतर्गत किसी भी समय विकास की दृष्टि से आवश्यकतानुसार, उपायों को सशक्त करना, उपांतरित करना या विलंबन या उन्हें हटाना भी है;

संक्रमण काल के दौरान आर्थिक सुधार और विकास सहायता को समर्थन

25. दानदाताओं और क्षेत्रीय संगठनों को रियाद में सहमत पारस्परिक जवाबदेही ढांचें में नियत की गयी निधि की प्राथमिकताओं को सितंबर 2012 में रियाद दानदाता सम्मेलन में की गई गिरवी को पूर्णत: वितरित करना; और दानदाताओं को अवितरित गिरवी हेतु आधार पर सुरक्षा शर्तों का ध्यान रखते हुए समर्थन के लिए पूर्णकिता वाली परियोजनाओं को पहचानकर कार्यकारी ब्यूरो के साथ निकटता से कार्य करने हेतु उत्साहित करें।

26. ढांचागत पारस्परिक जवाबदेही में नियत तात्कालिक नीति सुधार के कार्यान्वियन हेतु कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय एकता की सरकार की महत्ता पर जोर देना; और इन सुधारों को आगे बढाने हेतु अग्रसारित करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए दानदाताओं को प्रोत्साहित करना, जिसके अंतर्गत कार्यकारी ब्यूरो भी सम्मिलित है।

27. दोनों उत्तरी और दक्षिण गवर्नोरेटों, जिसके अंतर्गत अल ढालें गवर्नोरेट भी हैं, में नागरिकों के विरूद्ध बतलाए गए गंभीर मानवाधिकार दुराचरण और हिंसा पर अपनी चिंता प्रकट करना और लागू अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार विधि के अधीन सभी अंतवर्लित पक्षों को द्वंद समाप्त करने और उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने और नागरिकों को हताहत होने से बचाने के सभी अपेक्षित उपायों को करने, उनके आदर और नागरिक जनसंख्या की प्रतिरक्षा के लिए बल देना;

28. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यमन को मानवतावादी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना और यमन के लिए 2014 कूटनीतिक उत्तरदायित्व योजना के लिए पूर्ण वित्तपोषण के लिए आह्वान करना और इस बारे में यमन में सभी पक्षों को जरूरत में सारी जनसंख्या को सहायता देना सुनिश्चित करने के लिए अबाधित मानवतावादी पहुँच और सुरक्षित सुकर करने को अनुरोध तथा मानवतावादी कार्मिकों और संयुक्त राष्ट्र और उससे सम्बद्ध कार्मिकों और उनकी आस्तियों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों द्वारा आवश्यक कदम उठाने का आह्वान करना।

29. अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा द्वारा किए गए या प्रायोजित हमलों की बढती हुई संख्या की भर्त्सना करना भी है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसके अंतर्गत प्रयोज्य मानवाधिकार, शरणार्थी और मानवतावादी कानून भी है, के अनुसरण में, इस खतरे का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की और इस बारे में, संकल्प 1267 (1999) और 1989 (2011) के अनुसरण में समिति द्वारा प्रशासित प्रतिबंधित अल-कायदा शासन द्वारा और अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया कि उपर्युक्त उल्लिखित शासन के अंतर्गत व्यक्तियों, समूहों, उद्यमों और आस्तित्वों को प्रतिबंधित करना, जिन्होंने अल-कायदा और उससे सम्बद्ध समूहों से अपने संबंध विच्छेद नहीं किए हैं;

30. सभी शस्त्रों, जिसके अंतर्गत विस्फोटक आयुध और छोटे आयुध और हल्के आयुध भी हैं, से उत्पन्न खतरे का सामना करने हेतु अनवरत राष्ट्रीय प्रयासों के लिए आह्वान, यमन में स्थायित्व और सुरक्षा, इसके अंतर्गत साथ-साथ सुरक्षित और प्रभावकारी प्रबंध, सुनिश्चित करने द्वारा, उनके छोटे आयुध और हल्के आयुध और विस्फोटक आयुध के उनके भंडारण की सुरक्षा और भंडार और संग्रहण और/या युद्ध के विस्फोटक अवशेषों का विनाश और आधिक्य, जब्त, अचिन्हित या अवैध रूप से पकड़े गए आयुध और युद्ध सामग्री और पुनः ऐसे तत्वों को सुरक्षा क्षेत्र सुधारों में सम्मिलित करने के महत्व पर बल देना;

31. यमन में गंभीर आर्थिक, राजनैतिक और सुरक्षा व्यवधानों का सामना कर रहे शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों जो कि द्वंद के वर्षों के उपरांत उनके गृहों/आवासों में वापस जाने की इच्छा रखते हैं और यमन की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनकी वापसी के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का समर्थन करना और अभिस्वीकार करना।

संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी

32. अनुरोध है कि महासचिव अपने कार्यालय के कर्त्तव्य को जारी रखे, विशेष सलाहकार, जमाल बेनोमार को प्रशंसा सहित अंकित करना, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों, जिसके अंतर्गत खाड़ी सहयोग परिषद, राजदूतों का समूह और अन्य भूमिका निभाने वाले भी हैं, के साथ उनके समीप सहयोग के महत्व पर जोर दिया, सकल संक्रमण काल में भागीदारी/अंशदान प्रदान करने के क्रम में और महासचिव से पुनः अनुरोध किया जाता है कि संक्रमण काल के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता का समन्वय करना जारी रखें;

33. महासचिव से अनुरोध है कि यमन में हो रहे घटनाक्रमों पर रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 60 दिनों में समेकित राष्ट्रीय परिचर्चा सम्मेलन के परिणाम का कार्यान्वियन भी है, प्रदान करते रहे;

34. मामले को सक्रिय रूप से देखते रहने का निर्णय लिया।

2140 समिति द्वारा बनाई गई और रखी गई सूची

सूची को 14 अप्रैल 2015 तैयार किया गया।

सूची का संघटन

सूची में दो खंड हैं, जिसे नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है:-

क. व्यक्ति

ख. आस्तित्व व अन्य समूह

सूची से निकाले जाने की सूचना समिति की निम्नलिखित वेबसाईट पर देखी जा सकती है:-

http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

क. व्यक्ति

वाईईआई. 002 नामः 1: अब्दुल्ला 2: याह्या 3: अल हकीम 4:

नाम (मूल लिपि):

शीर्षकः अभिहित : हूथी समूह सेकेंड-इन-कमांड **जन्मतिथिः** क) लगभग 1985 ख) 1984 तथा 1986 के मध्य

जन्म स्थानः क) दहयान, यमन ख) सा'दाह गवर्नरेट, यमन **अच्छी क्वालिटी a.k.a.**: क) अबु अली अल हकीम ख) अबू-अली अल-हकीम ग) अब्दल्लाह अल-हकीम घ) अबू अली अलहकीम ङ) अब्दल्लाह अल-मुय्याद **निम्न क्वालिटी a.k.a.**: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयताः** यमन **पासपोर्ट सं**: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं.**: उपलब्ध नहीं **पता**: दहयान, सा'दाह गवर्नेट, यमन

को **सूचीबद्धः** 7 नवंबर, 2014 (20 दिसंबर, 2014 को संशोधित) **अन्य सूचनाः** लिंग [पुरूष]:

वाईईआई.004 नामः1: अब्दुल मलिक 2: अल हौथी 3:4:

शीर्षकः उपलब्ध नहीं **अभिहित :** उपलब्ध नहीं **जन्मतिथिः** उपलब्ध नहीं **जन्मस्थानः** उपलब्ध नहीं **अच्छी क्वालिटी a.k.a.**: उपलब्ध नहीं **निम्न क्वालिटी** a.k.a: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयताः** उपलब्ध नहीं **पासपोर्ट संख्याः** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं**: उपलब्ध नहीं **पताः** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्धः** 14 अप्रैल 2015 **अन्य सूचनाः**

यमन हौथी आंदोलन के नेता, ऐसे कृत्यों में शामिल, जो यमन की शांति, सुरक्षा अथवा स्थिरता के लिए खतरा है।

वाईईआई.001 नामः 1: अब्द 2: अल-खलीक 3: अल-हूथी 4:

नाम (मूल लिपि):

शीर्षकः अभिहितः हूथी मिलिटरी कमांडर **जन्म तिथिः** 1984 **जन्म स्थानः** उपलब्ध नहीं **अच्छी क्वालिटी a.k.a:** क) अब्द-अल-ख़लिक़ अल-हूथी ख) अब्द-अल-ख़लिक़ बद्र-अल-दीन अल हूथी ग) अब्द अल-ख़लिक़ बद्र अल-दीन अल-हूथी **निम्न क्वालिटी a.k.a:** अबु-युनूस

राष्ट्रीयताः यमन **पासपोर्ट सं**.: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं**: उपलब्ध नहीं **पताः** उपलब्ध नहीं तिथि को **सूचीबद्धः** 7 नवंबर, 2014

(20 नवंबर 2014 को संशोधित) **अन्य सूचनाः** लिंग [पुरूष]

वाईईआई.005 नामः1: अहमद 2: अली 3: अब्दुल्ला 4: सलेह

शीर्षकः उपलब्ध नहीं **अभिहित :** उपलब्ध नहीं **जन्म तिथिः** उपलब्ध नहीं **जन्म स्थानः** उपलब्ध नहीं **अच्छी क्वालिटी a.k.a** उपलब्ध नहीं **निम्न क्वालिटी a.k.a:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयताः** उपलब्ध नहीं **पासेपोर्ट सं**: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं**.: उपलब्ध नहीं **पताः** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्धः** 14 अप्रैल 2015 **अन्य सूचनाः** इसने हौथी सैन्य विस्तार को बढाने में मुख्य भूमिका निभाई है। यमन की शांति, सुरक्षा अथवा स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले कृत्यों में शामिल रहा है। अहमद सलेह, यमन गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति, अली अब्दुल्ला सलेह (YEI. 003) का पुत्र है।

वाईईआई.003 नामः1: अली 2: अब्दुल्ला 3: सलेह 4:

नाम (मूल लिपि):

शीर्षकः अभिहित : (क) यमन जनरल पीपुल्स कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ख) यमन गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति **जन्म तिथिः (**क) 21 मार्च, 1945 (ख) 21 मार्च 1946 (ग) 21 मार्च 1942 (घ) 21 मार्च 1947 **जन्म स्थान** (ड.) (क) बायत अल-अहमर, साना गवर्नरेट, यमन (ख) साना, यमन (ग) साना, सनहान, अल-रीव' अल-शर्की **अच्छी क्वालिटी a.k.a:** अली अब्दल्ला सलीह **निम्न क्वालिटी a.k.a**: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयताः** यमन **पासपोर्ट सं**.: 00016161 (यमन) **राष्ट्रीय पहचान सं**.: 01010744444 **पताः** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्धः** 7 नवंबर, 2014 (20 नवंबर 2014 को संशोधित) **अन्य सूचनाः** लिंग (पुरूष)

[फ़ा. सं. यू II/152/1/2015]

मनु महावर, संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 21st September 2015

S.O. 2607(E).—Whereas the Security Council of the United Nations in its 7119th Meeting adopted Resolution 2140 (2014) [appended to this order as Annexure], under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all states to take measures to ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Committee established by the said Resolution;

And whereas, the Security Council of the United Nations in its 7426th Meeting adopted Resolution 2216 (2015) required all states to take measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to, or for the benefit of Al Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al Hakim, Abd al-Khaliq al-Huthi and the individuals or entities designated by the Committee, established pursuant to paragraph 19 of the Resolution 2140 (2014) and pursuant to paragraph 20 (d) of the Resolution 2216 (2015), the individuals and entities listed in the annex to the Resolution 2216 (2015), and those acting on their behalf or at their direction in Yemen, from or

through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories;

And whereas, Resolutions 2204 (2015) and 2216 (2015) of the Security Council of the United Nations require the States to fully implement the provisions contained in Resolution 2140 (2014);

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to protect the unity, sovereignity, independence and territorial integrity of Yemen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolutions, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) This order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Yemen Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- (1) In this order, unless the context otherwise requires:-

(a) "Resolution" means the Resolution 2140 (2014) of the Security Council of the United Nations adopted on 26 February 2014 under chapter VII of the Charter of the United Nations regarding Yemen and includes Resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2201 (2015), 2204 (2015) and 2216 (2015) adopted by the Security Council;

(b) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order, drawn on the basis of the determination made by the Security Council in their said Resolutions;

(c) "Committee" means the Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 19 of the Resolution 2140 (2014).

(2) Words and expressions used but not defined in this order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.

3. Application of Order to individuals and entities:- The provisions of this Order, as amended from time to time, shall apply to individuals and entities falling within the purview of the said Resolutions and the Schedule.

4. Powers of the Central Government to give effect to the Resolution:- The Central Government shall have all the powers to take measures to,

(a) immediately freeze all funds, other financial assets and economic resources which are on its territories and which are owned or controlled, directly or indirectly, by the designated individuals or entities, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them;

(b) prevent any funds, financial assets or economic resources being made available by Indian nationals or by any individuals or entities within its territories, to or for the benefit of the designated individuals or entities with the provision to exempt;

(i) funds and basic expenses;

(ii) extraordinary expenses; and

(iii) expenses related to judicial, administrative or arbitral lien or judgment,

subject to the procedures specified in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 12 of the Resolution 2140 (2014) as may be applicable in the instant case

(c) prevent the entry into or transit through its territories of designated individuals with the provision to exempt travel or entry or transit;

(i) justified on the grounds of humanitarian needs, including religious obligation as determined by the Committee on a case by case basis;

(ii) for the fulfillment of a judicial process;

(iii) to further the objectives of peace and national reconciliation in Yemen as determined by the Committee on a case to case basis;

(iv) to advance peace and stability as may be determined on a case to case basis,

subject to the procedures specified in sub-paragraphs (a), (b), (c) and (d) of paragraph 16 of the Resolution 2140 (2014), as may be applicable in the instant case

(d) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to, or for the benefit of Al Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al Hakim, Abd al-Khaliq al-Huthi and the individuals or entities designated by the Committee, established pursuant to paragraph 19 of the Resolution 2140 (2014), pursuant to sub-paragraph (d) of paragraph 20 of the Resolution 2216 (2015), the individuals and entities listed in the annex to the resolution 2216 (2015), and those acting on their behalf or at their direction in Yemen, from or through Indian territories or by Indian nationals, or using Indian flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in Indian territories.

SCHEDULE

[See paragraph 2 (b)]

Annexure

Text of United Nations Security Council Resolution 2140 (2014) adopted on 26 February, 2014.

Resolution 2140 (2014)

Adopted by the Security Council at its 7119th meeting, on 26 February 2014

The Security Council,

Recalling its resolution 2014 (2011), 2051 (2012) and presidential statement of 15 February 2013,

Reaffirming its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen,

Commending the engagement of the Gulf Cooperation Council (GCC) in assisting the political transition in Yemen,

Welcoming the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference, signed by all political parties, and whose decisions provide a road map for a continued Yemeni led democratic transition underpinned by a commitment to democracy, good governance, rule of law, national reconciliation, and respect for the human rights and fundamental freedoms of all the people of Yemen,

Commending those who have facilitated the outcome of the comprehensive National Dialogue Conference through their constructive participation, in particular the leadership of President Abd Rabbo Mansour Hadi,

Expressing concern at the ongoing political, security, economic and humanitarian challenges in Yemen, including the ongoing violence,

Recalling the listing of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) and associated individuals on the AI-Qaida sanctions list established by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) and *stressing* in this regard the need for robust implementation of the measures in paragraph 1 of resolution 2083 as a significant tool in combating terrorist activity in Yemen,

Condemning all terrorist activities, attacks against civilians, oil, gas and electricity infrastructure and against the legitimate authorities, including those aimed at undermining the political process in Yemen,

Further condemning attacks against military and security facilities, in particular the attack on the Ministry of Defence on 5 December 2013 and the 13 February attack of the Ministry of Interior Prison, *stressing* the need for the Yemeni Government to efficiently continue reforms of the Armed Forces and in the security sector,

Reaffirming its resolution 2133 and *calling* upon all member states to prevent terrorists from benefiting directly or indirectly from ransom payments or from political concessions and to secure the safe release of hostages,

Noting the formidable economic, security and social challenges confronting Yemen, which have left many Yemenis in acute need of humanitarian assistance, *reaffirming* its support to the Yemeni government to safeguard security, promote social and economic development, and put forward political, economic, and security reforms, and welcoming the work of the Mutual Accountability Framework Executive Bureau, the World Bank, and the International Monetary Fund (IMF) in their support to the Government of Yemen on economic reform,

Stressing that the best solution to the situation in Yemen is through a peaceful, inclusive, orderly and Yemeni-led political transition process that meets the legitimate demands and aspirations of the Yemeni people for peaceful change and meaningful political, economic and social reform, as set out in the GCC Initiative and Implementation Mechanism and the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference, *welcoming* Yemen's efforts to strengthen women's participation in political and public life, including through measures to ensure at least 30 per cent women candidates for national legislative elections and elected councils,

Further recalling its resolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) and 2068 (2012) on Children and Armed Conflict and its resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) and 2122 (2013) on Women, Peace and Security,

Recognizing that the transition process requires turning the page from the presidency of Ali Abdullah Saleh, and welcoming the involvement and cooperation of all stakeholders in Yemen, including groups that were not party to the GCC Initiative and its Implementation Mechanism,

Reiterating the need for comprehensive, independent and impartial investigations consistent with international standards into alleged human rights violations and abuses in line with the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference, the GCC Initiative, and the Implementation Mechanism, to ensure full accountability,

Recognizing the importance of governance reforms to the political transition in Yemen, *noting* in this regard the proposals in the National Dialogue Conference's Good Governance Working Group report, including, among other things, prerequisites for candidates for Yemeni leadership positions and the disclosure of their financial assets,

Recalling its resolution 2117 (2013) and expressing grave concern at the threat to peace and security in Yemen arising from the illicit transfer, destabilising accumulation and misuse of small arms and light weapons,

Emphasizing the need for continued progress in the implementation of the GCC Initiative and Implementation Mechanism to avoid further deterioration of the humanitarian and security situation in Yemen,

Noting with appreciation the work of the United Nations country team and agencies in Yemen,

Welcoming the efforts made by the Secretariat to expand and improve the roster of experts for the Security Council Subsidiary Organs Branch, bearing in mind the guidance provided by the Note of the President (S/2006/997),

Determining that the situation in Yemen constitutes a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Reaffirms* the need for the full and timely implementation of the political transition following the comprehensive National Dialogue Conference, in line with the GCC Initiative and Implementation Mechanism, and in accordance with resolution 2014 (2011) and 2051 (2012), and with regard to the expectations of the Yemeni people;

Implementation of Political Transition

2. *Welcomes* the recent progress made in the political transition of Yemen and expresses strong support for completing the next steps of the transition, in line with the Implementation Mechanism, including;

(a) drafting a new constitution in Yemen;

(b) electoral reform including the drafting and adoption of a new electoral law consistent with the new Constitution;

(c) the holding of a referendum on the draft constitution, including suitable outreach;

(d) state structure reform to prepare Yemen for the transition from a unitary to a federal state; and

(e) timely general elections, after which the current term of President Hadi would end following the inauguration of the President elected under the new Constitution;

3. *Encourages* all constituencies in the country, including the youth movements, women's groups, in all regions in Yemen, to continue their active and constructive engagement in the political transition and to continue the spirit of consensus to implement the subsequent steps in the transition process and the recommendations of the National Dialogue Conference, and calls upon the Hiraak Southern movement, the Houthi movement and others to constructively partake and to reject the use of violence to achieve political aims;

4. *Welcomes* the Yemeni Government's plan to introduce an Asset Recovery Law, and supports international cooperation on this, including through the Deauville initiative;

5. *Expresses concern* over use of the media to incite violence and frustrate the legitimate aspirations for peaceful change of the people of Yemen;

6. *Looks forward* to steps by the Government of Yemen, towards the implementation of Republican Decree No. 140 of 2012, which establishes a committee to investigate allegations of violations of human rights in 2011 and which states that investigations shall be transparent and independent and adhere to international standards, in accordance with Human Rights Council resolution 19/29, and invites the Government of Yemen to provide soon a time frame for the early appointment of members of that committee;

7. *Expresses* its concern that children continue to be recruited and used in violation of applicable international law by armed groups, and the Yemeni Government forces, and calls for continued national efforts to end and prevent the recruitment and use of children, including through the signing and implementation by the Yemeni Government of the action plan to halt and prevent the recruitment and use of children in the government forces of Yemen, in line with the Security Council resolutions 1612 (2005), 1882 (2009) and 1998 (2011), and *urges* armed groups to allow the United Nations personnel safe and unhindered access to territories under their control for monitoring and reporting purposes;

8. *Also looks forward* to the early adoption of a law on transitional justice and national reconciliation that, while taking into account the recommendations of the National Dialogue Conference, is in accordance with the international obligations and commitments of Yemen and following best practices as appropriate;

9. *Calls* on all parties to comply with their obligations under international law including applicable international humanitarian law and human rights law;

Further Measures

10. *Emphasizes* that the transition agreed upon by the parties to the GCC Initiative and Implementation Mechanism Agreement has not yet been fully achieved and *calls* upon all Yemenis to fully respect the implementation of the political transition and adhere to the values of the Implementation Mechanism Agreement;

11. *Decides* that all Member States shall, for an initial period of one year from the date of the adoption of this resolution, freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee established pursuant to paragraph 19 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and *decides further* that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Committee;

12. *Decides* that the measures imposed by paragraph 11 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States;

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of

reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee;

(C) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;

13. *Decides* that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 11 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;

14. *Decides* that the measures in paragraph 11 above shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated pursuant to paragraph 11 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization;

Travel ban

15. *Decides* that, for an initial period of one year from the date of the adoption of this resolution, all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated by the Committee established pursuant to paragraph 19 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;

16. *Decides* that the measures imposed by paragraph 15 above shall not apply:

(a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;

(c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in Yemen; and

(d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or transit is required to advance peace and stability in Yemen and the States subsequently notifies the Committee within forty-eight hours after making such a determination;

Designation Criteria

17. *Decides* that the provisions of paragraphs 11 and 15 shall apply to individuals or entities designated by the Committee as engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen;

18. *Underscores* that such acts as described in paragraph 17 above may include, but are not limited to:

(a) Obstructing or undermining the successful completion of the political transition, as outlined in the GCC Initiative and Implementation Mechanism Agreement;

(b) Impeding the implementation of the outcomes of the final report of the comprehensive National Dialogue Conference through violence, or attacks on essential infrastructure; or

(c) Planning, directing, or committing acts that violate applicable international human rights law or international humanitarian law, or acts that constitute human rights abuses, in Yemen;

Sanctions Committee

19. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein "the Committee"), to undertake to following tasks:

(a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraph 11 and 15 above with a view to strengthening, facilitating and improving implementation of these measures by Member States;

(b) To seek and review information regarding those individuals and entities who may be engaging in the acts described in paragraph 17 and 18 above;

(c) To designate individuals and entities to be subject to the measures imposed in paragraphs 11 and 15 above;

(d) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;

(e) To report within 60 days to the Security Council on its work and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;

(f) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;

(g) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed;

(h) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in paragraphs 11 and 15;

20. *Directs* the Committee to cooperate with other relevant Security Council Sanctions Committees, in particular the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and Associated Individuals and Entities;

Reporting

21. *Requests* the Secretary-General to create for an initial period of 13 months, in consultation with the Committee, and to make the necessary financial and security arrangements to support the work of the Panel, a group of up to four experts ("Panel of Experts"), under the direction of the Committee to carry out the following tasks:

(a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in this resolution, including through providing the Committee at any time with information relevant to the potential designation at a later stage of individuals and entities who may be engaging in the activities described in paragraph 17 and 18 above;

(b) Gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies, regional organisations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in this resolution, in particular incidents of undermining the political transition;

(c) Provide to the Council, after discussion with the Committee, an update no later than 25 June 2014, an interim report by 25 September 2014, and a final report no later than 25 February 2015; and

(d) To assist the Committee in refining and updating information on the list of individuals subject to measures imposed pursuant to paragraphs 11 and 15 of this resolution, including through the provision of identifying information and additional information for the publicly-available narrative summary of reasons for listing;

22. *Directs* the Panel to cooperate with other relevant expert groups established by the Security Council to support the work of its Sanctions Committees, in particular the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established by resolution 1526 (2004);

23. *Urges* all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of experts and further urges all Member States involved to ensure the safety of the members of the Panel of experts and unhindered access, in particular to persons, documents and sites in order for the Panel of experts to execute its mandate;

Commitment to Review

24. *Affirms* that it shall keep the situation in Yemen under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of developments;

Economic Reform and Development Assistance to Support the Transition

25. *Calls* upon donors and regional organisations to fully disburse the pledges made at the Riyadh Donor conference in September 2012 to fund the priorities set out in the Mutual Accountability Framework agreed in Riyadh; and encourages donors with undisbursed pledges to work closely with the Executive Bureau to identify priority projects for support, taking into account the security conditions on the ground;

26. *Emphasizes* the importance of Government of National Unity taking action to implement the urgent policy reforms set out in the Mutual Accountability Framework; and encourages donors to provide technical assistance to help drive forward these reforms, including through the Executive Bureau;

27. *Expresses* its concern over reported serious human rights abuses and violence against civilians in both the Northern and Southern Governorates, including Al Dhale'e Governorate, *urges* all parties involved to end the conflicts and comply with their obligations under applicable international humanitarian and human rights law, and *stresses* the need for parties to take all required measures to avoid civilian casualties, respect and protect the civilian population;

28. *Encourages* the international community to continue providing humanitarian assistance to Yemen and *calls* for the full funding of the 2014 Strategic Response Plan for Yemen, and in this regard requests all parties in Yemen to facilitate safe and unhindered humanitarian access to ensure the delivery of assistance to all populations in need and *calls* on all parties to take necessary steps to ensure the safety and security of humanitarian personnel and of the United Nations and its associated personnel and their assets;

29. *Condemns* the growing number of attacks carried out or sponsored by AI-Qaida in the Arabian Peninsula, and expresses its determination to address this threat in accordance with the Charter of the United Nations and international law including applicable human rights, refugee and humanitarian law, and in this regard, through the AI-Qaida sanctions regime administered by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) and *reiterates its readiness,* under the above-mentioned regime, to sanction further individuals, groups, undertakings and entities who do not cut off all ties to AI-Qaida and associated groups;

30. *Calls for* continued national efforts to address the threat posed by all weapons, including explosive weapons and small arms and light weapons, to stability and security in Yemen, including inter alia through ensuring the safe and effective management, storage and security of their stockpiles of small arms and light weapons and explosive weapons, and the collection and/or destruction of explosive remnants of war and surplus, seized, unmarked, or illicitly held weapons and ammunition, and *further stresses* the importance of incorporating such elements into security sector reform;

31. *Acknowledges* the serious economic, political and security obstacles facing refugees and internally displaced persons in Yemen who wish to return to their homes after years of conflict, and *supports* and encourages the efforts of the Government of Yemen and the international community to facilitate their return;

United Nations involvement

32 *Requests* the Secretary-General to continue his good offices role, *notes* with appreciation the work Special Adviser, Jamal Benomar, *stresses* the importance of their close co-ordination with international partners, including the GCC, Group of Ambassadors, and other actors, in order to contribute to the successful transition, and in this regard *further* requests the Secretary-General to continue to coordinate assistance from the international community in support of the transition;

33. *Requests* the Secretary General to continue to report on developments in Yemen, including on the implementation of the outcome of the comprehensive National Dialogue Conference every 60 days;

34. *Decides* to remain actively seized of the matter.

The List established and maintained by the 2140 Committee

Generated on: 14 April 2015

Composition of the List:

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found on the Committee's website at:

http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

A. Individuals

YEi.002 Name: 1: ABDULLAH 2: YAHYA 3: AL HAKIM 4:

Name (original script): عبد الله يحيى الحاكم

Title: Designation: Huthi group second-in-command **DOB: a)** Approximately 1985 **b)** Between 1984 and 1986

POB: a) Dahyan, Yemen **b)** Sa'dah Governorate, Yemen **Good quality a.k.a.: a)** Abu Ali al Hakim **b)** Abu-Ali al-

Hakim **c)** Abdallah al-Hakim **d)** Abu Ali Alhakim **e)** Abdallah al-Mu'ayyad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**

Yemen **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen **Listed**

on: 7 Nov. 2014 (amended on 20 Nov. 2014) **Other information:** Gender [Male].

YEi.004 Name: 1: ABDULMALIK 2: AL-HOUTHI 3: 4:

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**

na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Apr. 2015 **Other information:**

Leader of Yemen's Houthi Movement. Has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen.

YEi.001 Name: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HUTHI 4:

Name (original script): عبدالخالق الحوثي

Title: Designation: Huthi military commander **DOB:** 1984 **POB:** na **Good quality a.k.a.: a)** Abd-al-Khaliq al-

Huthi **b)** Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi **c)** 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi **Low quality a.k.a.:** Abu-Yunus

Nationality: Yemen **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 7 Nov. 2014

(amended on 20 Nov. 2014) **Other information:** Gender [Male].

YEi.005 Name: 1: AHMED 2: ALI 3: ABDULLAH 4: SALEH

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na

Passport no: na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Apr. 2015 **Other information:** Has

played a key role in facilitating the Houthi military expansion. Has engaged in acts that threaten the peace, security,

or stability of Yemen. Ahmed Saleh is the son of the former President of the Republic of Yemen, Ali Abdullah Saleh

(YEi.003).

YEi.003 Name: 1: ALI 2: ABDULLAH 3: SALEH 4:

Name (original script): علي عبد الله صالح

Title: Designation: a) President of Yemen's General People's Congress party **b)** Former President of the Republic of Yemen **DOB: a)** 21 Mar. 1945 **b)** 21 Mar. 1946 **c)** 21 Mar. 1942 **d)** 21 Mar. 1947 **POB: a)** Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen **b)** Sana'a, Yemen **c)** Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi **Good quality a.k.a.:** Ali Abdallah Salih **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemen **Passport no:** 00016161 (Yemen) **National identification no:** 01010744444 **Address:** na **Listed on:** 7 Nov. 2014 (amended on 20 Nov. 2014) **Other information:** Gender [Male].

[F. No. U.II/152/1/2015]

MUNU MAHAWAR, Jt. Secy. (United Nations Political)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.